



आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

आकांक्षी DMF कार्यक्रम ज़िला खनजि फाउंडेशन (DMF) पहलों को [आकांक्षी जिला कार्यक्रम \(ADP\)](#) और [आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम \(ABP\)](#) के साथ संरेखित करने के लिये शुरू किया गया है।

- राजस्थान सहित अन्य राज्यों को संशोधित [प्रधानमंत्री खनजि क्षेत्र कल्याण योजना \(PMKKKY\)](#) 2024 दिशानिर्देशों को DMF नयिमों में अपनाने के लिये सम्मानित किया गया है।

मुख्य बूँदें

- ज़िला खनजि फाउंडेशन (DMF) के बारे में:
 - [खान एवं खनजि विकास वनियमन \(संशोधन\) अधिनियम, 2015](#) के अनुसार, खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक [ट्रस्ट](#) की स्थापना करेगी, जिसे [ज़िला खनजि फाउंडेशन](#) कहा जाएगा।
- DMF फंड:
 - प्रत्येक खनन पट्टा धारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार [रॉयल्टी](#) का एक अंश, जो रॉयल्टी के एक-तहई से अधिक नहीं होगा, DMF को देना होगा।
 - इस नधिका उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिये किया जाएगा।
- उद्देश्य:
 - इस योगदान के पीछे यह विचार है कि स्थानीय खनन प्रभावित समुदायों, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं और जो देश के सबसे गरीब हैं, को भी अपने निवास स्थान से निकाले गए प्राकृतिक संसाधनों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।
- कार्य:
 - DMF ट्रस्टों का कामकाज और नधियों का उपयोग, संबंधित राज्यों के DMF नयिमों द्वारा शासित होता है तथा इसमें केंद्रीय दिशानिर्देश, [प्रधानमंत्री खनजि क्षेत्र कल्याण योजना \(PMKKKY\)](#) के अधिदेश शामिल होते हैं।
 - [प्रधानमंत्री खनजि क्षेत्र कल्याण योजना \(PMKKKY\)](#)
- नोडल मंत्रालय:
 - वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री खनजि क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY), खान मंत्रालय द्वारा ज़िला खनजि फाउंडेशन (DMF) के तहत अर्जित धन का उपयोग करते हुए प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिये चलाई जा रही एक योजना है।
- उद्देश्य:
 - खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जो राज्य तथा केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक हों।
 - खनन के दौरान और उसके बाद, खनन ज़िलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना।
 - खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- PMKKKY 2024 दिशानिर्देश:
 - PMKKKY 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि DMF नधिका कम-से-कम 70% हिसा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाए, जो खनन प्रभावित समुदायों के प्रत्यक्ष कल्याण से संबंधित हों।
 - इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और [प्रदूषण नियंत्रण](#), स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दयिगजनों का कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता तथा आवास, कृषि एवं पशुपालन शामिल हैं।
 - शेष 30% धनराशि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास को समर्थन प्रदान करते हैं।
 - इन क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना, [सिंचाई](#) एवं ऊर्जा, जलग्रहण विकास शामिल हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)

- इसे वर्ष **2018** में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन ज़िलों में बदलाव लाना है, जिनोंने **प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों** में अपेक्षाकृत **कम प्रगति** की है।
- **आकांक्षी ज़िले** भारत के वे ज़िले हैं, जो **कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों** से प्रभावित हैं।
- इसमें **देश के 112 ज़िले** शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का संचालन **नीतिआयोग** द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग **मंत्रालयों** ने ज़िलों की प्रगति को गति देने की **ज़म्मेदारी** संभाली है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)

- **7 जनवरी 2023** को शुरू **ABP** का उद्देश्य देश के सबसे **कठिन** और अपेक्षाकृत **अवकसित ब्लॉकों** में नागरिकों के **जीवन की गुणवत्ता** को बढ़ाने के लिये **शासन में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करना है।
- कार्यक्रम की रणनीति मौजूदा योजनाओं को **समेकित** करने, **परणामों को परभाषित** करने और पाँच क्षेत्रों- **स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा तथा सामाजिक विकास** में **40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI)** के माध्यम से **प्रगति की सतर्कतापूर्वक निगरानी** सुनिश्चित करने पर आधारित है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/aspirational-dmf-programme>

